रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**
साप्ताहिक
**WEEKLY**

सं. 9] नई दिल्ली, फरवरी 24—मार्च 2, 2019, शनिवार/फाल्गुन 5—फाल्गुन 11, 1940
No. 9] NEW DELHI, FEBRUARY 24—MARCH 2, 2019, SATURDAY/PHALGUNA 5— PHALGUNA—11, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

**भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )**

**General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

## वित्त मंत्रालय
## (राजस्व विभाग)
## (माल और सेवा कर परिषद सचिवालय)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

**सा.का.नि. 58.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय में संयुक्त सचिव के समूह "क" कार्यपालक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर परिषद सचिवालय, संयुक्त सचिव, समूह "क" कार्यपालक पद भर्ती नियम 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

| G.S.R. 40 | As existing in "Note" in Notification G.S.R. No. 40 Dated 25.01.2019 | Corrected |
|---|---|---|
| Note: | Principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 1st December, 2010 vide G.S.R. 945 (E) dated the 1st December, 2010 and subsequently amended vide notification number G.S.R. ……(E) dated……January, 2019. | Principal rules were published in the gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 1st December, 2010 vide GSR 945 ( E) dated the 1st December, 2010 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 39(E) dated 25th January, 2019. |

[F. No. 8-73/2016/L-II]

SANGITA TOPPO, Under Secy.

---

## जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2019

**सा.का.नि. 66.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या ऐसे

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| प्रशासनिक अधिकारी | 21* (2019)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अनुसचिवीय |

| वेतन मेट्रिक्स मे स्तर | चयन पद अथवा अचयन पद |
|---|---|
| (4) | (5) |
| स्तर-8 (47600 – 151100 रु.)<br><br>प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उस ग्रेड में चार वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी करने पर स्तर -9 का अकृत्यिक वेतन (53100-167800 रु.) स्वीकार्य होगा। जिन प्रशासनिक अधिकारियों को यह अकृत्यिक वेतन स्वीकृत किया जाएगा, वे समूह 'ख" (राजपत्रित) वर्ग में ही बने रहेंगे और ज़्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रोन्ति के लिए उनकी पात्रता का निर्धारण प्रशासनिक अधिकारी के दोनों स्तर पर उनकी कुल सेवा अवधि के आधार पर गणना की जाएगी | | चयन |

| सीधे भर्ती के लिए आयु;सीमा | सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं । |
|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो । | **भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता |
|---|---|
| (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | **प्रोन्नति :** जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा । |
|---|
| (11) |
| **प्रोन्नति:**<br>कार्यालय अधीक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) मे छह वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर से प्रशासनिक नियम में पंद्रह दिन का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो।<br>**टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>**प्रतिनियुक्ति:**<br>प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारी<br>(क) (i) जो मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या<br>(ii) जिन्होंने स्तर-7 (44900-142400 रु.) के वेतन मैट्रिक्स में मूल काडर / विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की है ; और<br>(ख) (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री;<br>(ii) प्रशासन, लेखा और स्थापना कार्य का पांच वर्ष का अनुभव; तथा<br>(iii) वांछनीय: सरकारी नियमों और विनियमों का ज्ञान।<br>**टिप्पण** 1: ऐसे विभागीय अधिकारी जो पौषक प्रवर्ग में प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।<br>**टिप्पण** 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।<br>**टिप्पण** 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी. |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :—**<br>1. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड - अध्यक्ष<br>2. सदस्य, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य<br>3. निदेशक अथवा उपसचिव (भूजल स्थापना), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय - सदस्य | प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

[फा. सं. 21/03/2016-सीजीडब्ल्यूबी]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

## MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 20th February, 2019

**G.S.R. 66.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Administrative Officer, Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:—

1. **Short title and commencement.—(1)** These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board,(Administrative Officer) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other backward classes, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Administrative Officer | 21*(2019)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service<br>Group 'B',<br>Gazetted, Ministerial |

| Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post |
|---|---|
| (4) | (5) |
| Level-8 (Rs.47600-151100/-)<br><br>The non-functional pay of Level-9 (Rs.53100-167800/-) is admissible to the Administrative Officer on completion of four years approved service in that grade. The Administrative Officers who are granted this non-functional pay will continue to remain in Group-'B'(Gazetted) and their eligibility for promotion to Senior Administrative Officer will reckoned on the basis of the total period, spend in both the levels of Administrative Officer, counted together. | Selection |

| Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method |
|---|---|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Promotion failing which by deputation |

| In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made. |
|---|
| (11) |

**Promotion:**

Office Superintendent in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with six years regular service in the grade and who have successfully completed fifteen days training in enabling Administrative Rules from National Ground Water Training and Research Institute, Raipur.

**Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation:**

Officers under the Central Government or State Government or Union territories ;-

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-7(Rs.44900-142400/-) in the pay matrix in the parent cadre or department ; and

(b)(i) Bachelors degree from a recognised University or institute;

(ii) five years of experience of Administration, Accounts and Establishment Work; and

(iii) Desirable : Knowledge of Government rules and regulations.

**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

| If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:**<br>1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman<br>2. Director (Administration), Central Ground Water Board – Member<br>3. Director or Deputy Secretary (Ground Water Establishment), Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member | Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation. |

[F. No. 21/03/2016-CGWB]

S. K. KATARIA, Under Secy.

## नागर विमानन मंत्रालय

## (नागर विमानन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

**सा.का.नि. 67.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, निदेशक, उड़ान प्रशिक्षण और उप निदेशक, उड़ान प्रशिक्षण समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय में निदेशक, उड़ान प्रशिक्षण और उप निदेशक, उड़ान प्रशिक्षण पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय (निदेशक और उप निदेशक उड़ान प्रशिक्षण) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।